प्रेस नोट **09/04/2024**

आज दिनांक 09.04.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा पुलिस कार्यालय में, महिलाओं के सशिक्तिकरण हेतु शासन के दिशा–निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति (फेज–4.0) प्रदेश में संचालित किया जा रहा है जिसके अर्न्तगत नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने के क्रम में जनपद मऊ से सराहनीय कार्य करने वाली महिला आरक्षी शिखा तिवारी थाना सरायलखंसी व महिला आरक्षी पूनम यादव थाना कोतवाली को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटों देकर सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त म0आ0 शिखा तिवारी द्वारा पीड़ित अविनाश यादव निवासी इन्दरपुर व धर्मप्रकाश निवासी अमारी अमरह थाना सरायलखंसी के आनलाइन ठगी के कुल 01 लाख 45 हजार 583 रुपये उनके खाते में वापस कराये गये थे। साथ ही साथ उक्त म0का0 पूनम यादव द्वारा कालेजों/विद्यालयों में जाकर छात्र/छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के बारे में जागरुक/ट्रेनिंग, एसिड अटैक तथा विभिन्न महिला हेल्पलाइन नंबर 1090,181,1930 इत्यादि व मिशन शक्ति के बारे में जागरुक किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के जागरुकता आयोजित कर मिशन शक्ति के माध्यम से विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरुक किया जाता है।

गैंग(डी–115) का सक्रिय सदस्य व टॉप टेन अपराधी/हिस्टीशीटर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद–

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपरधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 08.04.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर जयरामगढ़ पुलिया के पास से अभियुक्त मोहम्मद मुस्लिम उर्फ राजू पुत्र इफ्तेखार निवासी लाडनपुर चेलाराम का पुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ थाना क्षेत्र का मजारिया एचएस है तथा पंजीकृत गौतस्कर गैंग संख्या डी 115 का सक्रिय सदस्य है के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया इस सम्बन्ध में उक्त अकभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 81/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. मोहम्मद मुस्लिम उर्फ राजू पुत्र इफ्तेखार निवासी लाडनपुर चेलाराम का पुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर।

2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 81/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2. मु0अ0सं0 652/16 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

3. मु0अ0सं0 1082/16 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ।

4. मु0अ0सं0 1083/16 धारा 147,323,336,352 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।

5. मु0अ0सं0 14/17 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

6. मु0अ0सं0 212/22 धारा 420,467,468,471 भादवि व धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ।

7. मु0अ0सं0 353/23 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।

दो शातिर गिरफ्तार, कब्जे से एक पिस्टल सहित 02 अवैध असलहे बरामद–

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपरधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में दिनांक 08.04.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भटौली भटमीला मार्ग के पास से अभियुक्तगण दीपक गौड़ पुत्र रामाश्रय निवासी भटमीला थाना घोसी, विजनस गुप्ता पुत्र बेचई निवासी उसरीखुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया इस संबन्ध में उक्त अभियुक्तो के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 142/245 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. दीपक गौड़ पुत्र रामाश्रय निवासी भटमीला थाना घोसी जनपद मऊ।

2. विजनस गुप्ता पुत्र बेचई निवासी उसरीखुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद अवैध पिस्टल व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।

2. एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

एक वांछित तथा 04 वारण्टी गिरफ्तार–

आज दिनांक 09.04.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर नरई बाध के पास से मु0अ0सं0 61/24 धारा 363,366,376(3) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त विशाल खरवार पुत्र दीपक खरवार निवासी सहादतपुरा नई बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ रानीपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र शरदारी निवासी शादीपुर थाना रानीपुर तथा कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियक्तगण रामबदन पुत्र सम्पत, रामायण पुत्र बेचू निवासीगण जयरामगढ़, नरोत्तम पुत्र शिवचन्द्र निवासी पारामुबारकपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 09.04.2024 सायंकाल पुलिस लाईन मऊ के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्री, समस्त क्षेत्राधिकारीगण व अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण की उपस्थित में गोष्ठी की गई जिसमें लम्बित विवेचनाओं, सीएस/एफआर, गैंगेस्टर के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, अपराध कार्य प्रणाली ब्यूरो की प्रगति, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों, टाप 10/सक्रिय अपराधियों इत्यादि के सम्बन्ध में गहन समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।